

कार्यालय कलेक्टर बालाघाट (म.प्र.)

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक : 3875 की तहसीलवार परिशिष्ट "अ" में जानकारी निम्नानुसार

है :-

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रश्न-क- बालाघाट जिला में अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार द्वारा विगत तीन वर्षों रेत माफियाओं पर की गई कार्यवाही । परिशिष्ट "अ"
1	वारासिवनी	विगत तीन वर्षों में रेत माफियाओं की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है।
2	लालबरा	विगत तीन वर्षों में रेत माफियाओं के ग्राम ददिया, छिन्दलई, जाम, मौसमी के चार प्रकरणों में कार्यवाहीकर, खनिज शाखा को प्रेषित किये गये हैं।
3	खैरलौजी	विगत तीन वर्षों में रेत माफियाओं के ग्राम पांजरा एवं ग्राम भौरगढ के दो प्रकरणों में कार्यवाहीकर, खनिज शाखा को प्रेषित किये गये हैं।
4	लामता	विगत तीन वर्षों में रेत माफियाओं की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है।
5	तिरोडी	विगत तीन वर्षों में रेत माफियाओं की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है।
6	बालाघाट	विगत तीन वर्षों में अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा अवैध उत्खनन रोकने रेत माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जानकारी निरंक
7	लौजी	विगत तीन वर्षों में रेत माफियाओं की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है।
8	वेहर	विगत तीन वर्षों में रेत माफियाओं की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है।
9	किरनापुर	विगत तीन वर्षों में रेत माफियाओं की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है।
10	परसवाडा	विगत तीन वर्षों में रेत माफियाओं की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है।
11	विरसा	विगत तीन वर्षों में रेत माफियाओं की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है।
12	कटंगी	विगत तीन वर्षों में रेत माफियाओं की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है।

huz
अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
प्राथमिक विभाग (शाखा)

परिशिष्ट "ब"

प.अ-3875

कार्यालय कलेक्टर बालाघाट (म.प्र.)

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक : 3875 की तहसीलवार परिशिष्ट "ब" में जानकारी निम्नानुसार

प्रश्न-ख- रेत भण्डारणों की जप्ती एव स्वीकृत रेत खदानों का सीमांकन परिशिष्ट "ब"
बारासिवनी तहसील अंतर्गत अवैध रेत भण्डारण की जप्ती की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा नहीं की गई है। स्वीकृत रेत खदानों का सीमांकन संयुक्त टीम द्वारा किया गया है।
बारासिवनी तहसील अंतर्गत अवैध रेत भण्डारण की जप्ती की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा नहीं की गई है। स्वीकृत रेत खदानों का सीमांकन संयुक्त टीम द्वारा किया गया है।
बारासिवनी तहसील अंतर्गत अवैध रेत भण्डारण की जप्ती की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा नहीं की गई है। स्वीकृत रेत खदानों का सीमांकन संयुक्त टीम द्वारा किया गया है।
लामता तहसील अंतर्गत अवैध रेत भण्डारण की जप्ती की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा नहीं की गई है।
विगत तीन वर्षों में रेत भण्डारणों पर जप्ती की कार्यवाही निरंक तहसील बिरसा अंतर्गत कोई रेत खदान स्वीकृत नहीं है।
विगत तीन वर्षों में रेत भण्डारणों पर जप्ती की कार्यवाही निरंक तहसील बालाघाट अंतर्गत कोई रेत खदान स्वीकृत नहीं है।
विगत तीन वर्षों में रेत भण्डारणों पर जप्ती की कार्यवाही निरंक तहसील बिरसा अंतर्गत कोई रेत खदान स्वीकृत नहीं है।
विगत तीन वर्षों में रेत भण्डारणों पर जप्ती की कार्यवाही निरंक है। स्वीकृत रेत खदान लहंगाकन्हार का सीमांकन दिनांक 06/01/2024 को किया गया है।
विगत तीन वर्षों में रेत भण्डारणों पर जप्ती की कार्यवाही निरंक है। स्वीकृत रेत खदानों के ग्राम केशा, पानगोव, बिनोरा, सेवती, कडकना, मुण्डेसरा के कुल 06 सीमांकन किये गये हैं।
विगत तीन वर्षों में रेत भण्डारणों पर जप्ती की कार्यवाही निरंक तहसील बिरसा अंतर्गत कोई रेत खदान स्वीकृत नहीं है।
विगत तीन वर्षों में रेत भण्डारणों पर जप्ती की कार्यवाही निरंक तहसील बिरसा अंतर्गत कोई रेत खदान स्वीकृत नहीं है।
विगत तीन वर्षों में रेत भण्डारण नहीं किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
राज्य शासन
राजस्व विभाग (राज्य)

अपर कलेक्टर
बालाघाट